अनुच्छेद 16 (4) के अधीन न्यायालय के मामलों का विश्लेषण

पिछड़ी जातियां क्या है

अनुच्छेद 16 (4) में पिछड़े वर्ग शब्दों का प्रयोग किया गया है जबकि अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के नागरिक या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दावली के इस अन्तर के कारण दो प्रश्न उठते हैं। पहला यह कि क्या अनुच्छेद 16 (4) में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं और दूसरा यह कि क्या पिछड़े वर्ग शब्द का वही अर्थ लिया जाय जो अनुच्छेद 15(4) में अभिप्रेत है अर्थात सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। अनेक मामलों में इस बात की पुष्टि की गई है कि अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित पिछड़े वर्ग शब्दों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं। इसके साथ-साथ ये शब्द सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा कोई भी वर्ग शब्दों के समान हैं अर्थात जहां तक पिछड़े वर्ग की परिभाषा का संबंध है, अनुच्छेद 15(4) और 16 (4) में कोई अन्तर नहीं है[2]।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण करते समय अन्य दो बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए वे हैं- उन पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण किए जा सकते हैं जिन्हें राज्य[3] के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला और उनके लिए किए जाने वाले किसी भी आरक्षण से प्रशासनिक दक्षता[4] पर कोई खास प्रभाव न पड़ता हो।

उच्चतम न्यायालय में पेश हुए ऐसे केवल चार हीं मामले हैं जिनमें वगों के वर्गीकरण की वैधता का मुद्दा उठाया गया था और जम्मू तथा कश्मीर राज्य में आरक्षण संबंधी अनेक मामले हुए हैं। पिछड़े वर्गों की परिभाषा के प्रश्न पर मैसूर, केरल, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से उच्च न्यायालय में उनेक मामले पेश हुए हैं।

इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में सबसे पहला मामला त्रिलोकी नाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य[5] का था। यह मामला अनुच्छेद 15(4) के अधीन बालाजी बनाम मैसूर राज्य तथा त्रिलोकी बनाम मैसूर राज्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बाद उठा था। उपर्युक्त दोनों मामलों के बारे में हमने उस अनुच्छेद की धारा में चर्चा कर ली है। त्रिलोकीनाथ वाले मामले में तथ्य यह था कि सरकार ने कुछ पदों पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण की निम्नलिखित नीति बिना किसी औपचारिक नियम या घोषणा के अपना ली थी। (1) मुसलमानों के लिए 50 प्रतिशत पद (2) शेष 50 प्रतिशत पदों का 60 प्रतिशत जामवी हिन्दुओं के लिए और (3) उक्त 50 प्रतिशत का शेष 40

प्रतिशत कश्मीरी पण्डितों के लिए और कभी-कभी एक या दो पद सिक्खों की बिना पारी पदोन्नति के लिए।

न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन की कसौटी मात्र यही नहीं है कि कुछ वर्गों को राज्य की सेवाओंमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जैसा कि राज्य ने दावा किया था, क्योंकि इस तर्क से तो अनुच्छेद 16 (4) के उपबंधों के अधीन वास्तव में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाएंगे और इसका लाभ केवल उस तबके के नागरिकों को मिल पाएगा जो किसी अन्य व्यवसाय में लगे हैं चाहे वे कितने धनवान और अधिक और पढ़े लिखे क्यों न हो। न्यायालय ने कहा कि किसी भी वर्ग को पिछड़ा हुआ तभी माना जाएगा जब वह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से उसी प्रकार से पिछड़ा हुआ हो जैसा कि बालाजी के मामले में स्पष्ट किया गया था और इसके साथ यह भी है कि उस वर्ग को राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। बालाजी और चित्रलेखा के मामलों का अनुगमन करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी भी वर्ग को निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होने पर पिछड़ा वर्ग वर्गीकृत किया जाए (i) आर्थिक स्थिति कमजोर हो और (ii) व्यवसाय को देखकर उक्त वर्गीकरण के लिए जाति को भी आधार माना जाए परन्तु इसे ही एकमात्र आधार या प्रमुख कसौटी न माना जाए। न्यायालय का विचार था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन का कारण गरीबी है। इसके अतिरिक्त एक और राज्य को जहां यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होता है कि नागरिकों का एक वर्ग विशेष पिछड़ा हुआ है अथवा नहीं वहां इस मामले को न्यायालय में भी उठाया जा सकता है और न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि राज्य ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है अथवा नहीं। इस मामले में न्यायालय ने राज्य की नीति पर प्रहार किया क्योंकि राज्य अपनी इस नीति का औचित्य सिद्ध करने के लिए न्यायालय के सामने पर्याप्त कागजात पेश नहीं कर सका कि उसने जिन श्रेणियों को पिछड़े हुए वर्ग माना है वे वास्तव में पिछड़े हुए थे। उसने उच्च न्यायालय से रिपोर्ट देने के लिए कहा जिनमें संपूर्ण राज्य की कुल आबादी दोनों प्रान्तों के अलग-अलग आकंड़े, विभिन्न समुदायों का सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन आदि की बाबत जानकारी हो।

उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद दूसरा मामला अर्थात त्रिलोकीनाथ का मामला उच्चतम न्यायालय के सामने पेश हुआ। उच्चतम न्यायालय के देखने में आया कि उच्च न्यायालय की रिपोर्ट में ऐसा कोई औपचारिक आदेश शामिल नहीं था जिसमें नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए पदों पर आरक्षण या नियुक्तियां करने संबंधी कोई उपबंध हो। साक्ष्य देखकर न्यायालय को पता चला कि विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की नीति इस तथ्य पर आधारित थी कि उन्हें सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और प्रान्त के आधार पर समुचित

प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात थी। यह अनुच्छेद 16 (4) के उपबन्धों के विपरीत है और अनुच्छेद 16 (1) तथा (2) के अधीन अवैध है। न्यायालय ने कहा कि केवल जाति समुदाय, प्रजाति, वर्ग, पुरुष/ महिला, वंश, जन्म स्थान या निवास-स्थान को मानदण्ड बना कर इस आधार पर हीं किसी वर्ग का पिछड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। "पिछड़ा वर्ग" अभिव्यक्ति का अर्थ वही नहीं है जो "पिछड़ी जाति" या "पिछड़ा समुदाय" है। संपूर्ण जाति या समुदाय को भी पिछड़ा हुआ घोषित किया जा सकता है किन्तु यह इसलिए नहीं होगा कि किसी जाति या समुदाय के रूप में उसकी कुछ विशिष्टताएँ हैं परन्तु इसलिए कि एक विशेष समय में वह वर्ग निर्धारित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मूल्यों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अंतिम आदेश देते समय न्यायालय ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के कारण राज्य पर एक उचित योजना तैयार करने पर कोई रोक नहीं लगी हुई है।

त्रिलोकीनाथ के दूसरे मामले के बाद माखनलाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य[7] का मामला सामने आया। यह मामला त्रिलोकीनाथ मामले के तथ्यों पर आधारित था। संविधान की व्याख्या की दृष्टि से माखनलाल का मामला कोई विशेष महत्व नहीं रखता। त्रिलोकीनाथ के मामले में यद्यपि न्यायालय ने यह कहा था कि राज्य को अनुच्छेद 16 के अनुरूप आरक्षण की योजना तैयार करनी चाहिए परन्तु ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि राज्य ने एक उदार तरीका अपना लिया जिसके अनुसार त्रिलोकीनाथ के मामले में न्यायालय ने निर्णय को प्रकट रूप से प्रभावी माना परन्तु वास्तव में प्रतिवादी शिक्षकों को उनके उन्हीं उच्च हैसियत वाले पदों पर जारी रखा जिनकी पदोन्नतियां त्रिलोकीनाथ के मामले में हुए निर्णय की दृष्टि में अवैध हो गई थी। चूंकि इससे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ था इसलिए न्यायालय ने इन पदोन्नतियों को अमान्य ठहरा दिया।

अन्त में उपर्युक्त तीनों मामलों के तथ्यों के आधार पर जानकी प्रसाद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य[8] का मामला पेश हुआ। माखनलाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में हुए निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर राज्य ने जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण नियमावली, 1970 को लागू किया। प्रार्थियों ने कहा कि पहले की तरह सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है और इस बात का दावा किया कि नियमों के अधीन कुछ पद यद्यपि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थे किन्तु यह मुसलमानों के लिए लगभग 90 प्रतिशत पद आरक्षित करने का बहाना मात्र था।

सरकार ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग समिति के सिफारिशों के आधार पर नियम बनाए थे। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय सेवा निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति जे.एल. बजीर उक्त समिति

के अध्यक्ष थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1969 में पेश की। नियमों के अनुसार पिछड़े वर्गों को नीचे दिए अनुसार 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था :-

1. कुछ विशिष्ट पारम्परिक व्यवसाय।
2. 23 विशिष्ट सामाजिक जातियां।
3. छोटे कृषक।
4. अल्प राशि पाने वाले पेन्शनर।
5. युद्ध विराम रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र के निवासी।
6. राज्य के कुछ क्षेत्र "खराब बस्तियां" मानी जाती हैं, उनका प्रत्येक व्यक्ति पिछड़ा हुआ माना जाए।

इस मामले में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़े वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक दोनों दृष्टियों से पिछड़ा हुआ होना चाहिए। केवल शैक्षिक दृष्टि से या केवल सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होना पर्याप्त नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय ने नियमों में विनिर्दिष्ट लगभग सभी के संबंद्ध में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आपत्ति उठाई।

इन श्रेणियों के संबंध में न्यायालय के मुख्य विचार इस प्रकार थे :-

जहां तक पारम्परिक व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग के व्यक्ति मानने का प्रश्न है, न्यायालय इस बात से सहमत था कि कोई भी राज्य पारम्परिक व्यवसाय कर रहे निम्न आय वाले परिवार के व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का व्यक्ति घोषित करने के लिए स्वतंत्र है यदि वह वर्ग संपन्न रूप से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो। परन्तु सरकार द्वारा किए गए वर्गीकरण में यह दोष है कि यदि किसी व्यक्ति का दादा पारम्परिक व्यवसाय करता रहा हो वह भी पिछड़ा हुआ माना जाता था चाहे उसका पिता उस व्यवसाय को छोड़ा चुका हो। इस प्रकार इसका लाभ संबंधित व्यक्ति को नहीं पहुंच रहा था।

नियमों में 23 जातियों को पिछड़ी हुई जातियां अधिसूचित किया गया था लेकिन पिछड़े वर्ग समिति ने ऐसी केवल 19 जातियों को पिछड़ा हुआ माना है। कागजात आदि के अभाव में न्यायालय शेष चार जातियों को भी पिछड़ी हुई जातियां मानने के लिए तैयार नहीं था।

नियमों में छोटी जोत के खेतिहरों को पिछड़े वर्ग का मानने की बात कही गई थी।

खेती की जमीन और जिस क्षेत्र में यह जमीन रिक्त है उसे देखते हुए जोत की सीमाएं अलग-अलग हो सकती थी। इस वर्गीकरण के कारण आर्थिक थे। न्यायालय ने इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका विचार था कि एक वर्ग सामाजिक दृष्टि से सदृश लोगों का वर्ग होना चाहिए जिनकी विशेषताएं समान होनी चाहिए और उन्हें समान गुणों के कारण पहचाना जा सकता हो। उपर्युक्त वर्गीकरण करते समय सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन की संगति के प्रश्न को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। उदाहरण के तौर पर न्यायालय का कहना था कि 10 कनाल या इससे कम जोत के मालिक को पिछड़ा हुआ अर्थात सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाए, परन्तु यदि उसके भाई के पास आधा कनाल जमीन अधिक हो तो उसे पिछड़ा हुआ न माना जाए। उक्त वर्गीकरण में इसी प्रकार का एक अन्य दोष न्यायालय के देखने में आया और वह यह था कि पेंशनभोगी के पद का अधिकतम वेतनमान 100 रु. से अधिक न होने पर पेंशनभोगी पर आश्रित व्यक्तियों को पिछड़ा हुआ माना लिया जाना।

अन्ततः न्यायालय ने उस नियम की भी जांच की जिसके अनुसार युद्ध विराम रेखा की पांच मील के भीतर कुछ गांवों में और "खराब बस्तियों" वाले अन्य क्षेत्रों के भीतर रहने वाले व्यक्तियों को पिछड़े हुए व्यक्ति माना गया था। न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत कागजात आदि से आश्वस्त हो गया था कि उक्त गांवों और क्षेत्रों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए माना जा सकता है। यद्यपि नियमों में यह व्यवस्था थी कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को उस क्षेत्र का तभी माना जा सकता है यदि उसका पिता पिछड़ेपन का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वर्ष से पहले के 20 वर्षों में से कम से कम 10 वर्ष तक उस क्षेत्र में रह चुका हो या रह रहा हो। इस नियम में यह दोष था कि जिस समय लाभ का दावा किया जा रहा है उस समय पिता या पुत्र का उस क्षेत्र में रहना जरूरी नहीं। इसके अतिरिक्त इन नियमों के अनुसार यह भी अपेक्षित नहीं था कि लड़के की प्रारम्भिक शिक्षा इन क्षेत्रों में हुई हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लड़का और उसका पिता उस क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ न केवल वास्तविक निवासी बल्कि अन्य व्यक्ति भी उठा सकते थे जो इन क्षेत्रों में व्यापारी या सरकारी सेवा आदि के प्रयोजन से गये हों। इस प्रकार बाहर के व्यक्ति भी इस लाभ का दावा कर सकते थे। इसलिये इस कमी को दूर करना जरूरी था।

मैसूर उच्च न्यायालय ने एक पहले के निर्णय में ब्राह्मण समुदाय को छोड़कर अन्य सभी समुदायों को पिछड़े हुए विनिर्दिष्ट किया था। उच्च न्यायालय ने इस वर्गीकरण का समर्थन किया था। सरकार ने मिलर्स समिति नाम से ज्ञात समिति की सिफारिशों पर ऐसा किया था। न्यायालय के इस निर्णय की वैधता संदिग्ध है। इस बारे में न्यायालय के समक्ष कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये कि ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी समुदायों को पिछड़े हुए मानने का सामूहिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने इस आधार पर आगे की कार्रवाई आरम्भ कर दी कि

न्यायालयों को इस मामले में न्यायिक समीक्षा करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

मैसूर के एक अन्य मामले में राज्य ने आय-सीमा और व्यवसाय के प्रकार को पिछड़ापन निर्धारित करने का मानदण्ड बनाया।

यदि किसी व्यक्ति के माता-पिता और अभिभावक की वार्षिक आय 1200 रुपये से कम हो और वह निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय में लगा हो तो उसे पिछड़ा हुआ माना जाता था:- (क) वास्तविक कृषक (ख) शिल्पी (ग) खुदरा व्यापारी (घ) नैमित्तिक श्रमिक और कुछ घटिया किस्म की सेवाएं और (ङ) शारीरिक श्रम वाले कोई अन्य व्यवसाय। उच्च न्यायालय ने सरकार के पिछड़े वर्गो के इस वर्गीकरण के आदेश का समर्थन किया। यह विनिर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा जानकी प्रसाद के मामले में दिये गये निर्णय के अनुसार नहीं है क्योंकि उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि समूह को सामाजिक दृष्टि से सदृश होना चाहिये और यदि आय को मानदण्ड बनाया गया तो इससे सीमांत कठिनाइयां सामने आ सकती है। किन्तु जानकी प्रसाद के मामले के बाद अनुच्छेद 15(4) के अधीन न्यायालय के सामने पेश हुए एक अन्य मामले में न्यायालय के आय की सीमा के अधीन जाति के मानदण्ड का समर्थन किया।"

यहां यह टिप्पणी की जा सकती है कि पूर्णतया दोष रहित वर्गीकरण अपनाना कठिन है और न्यायालय ने जानकी प्रसाद के मामले में जिन सीमांत कठिनाइयों की ओर संकेत किया है वे प्रत्येक वर्गीकरण में पेश आएंगी। हमें दोनों में से एक को चुनना होगा अर्थात या तो बिल्कुल भी कोई वर्गीकरण न किया जाए अथवा ''कुछ सीमान्त कठिनाइयों वाला वर्गीकरण'' अपना लें।

देसू राज्य बनाम आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग[12] के मामले में सरकार ने पिछड़े वर्गों के संबंध में अपना पहले का आदेश रद्द कर दिया क्योंकि यह पूर्णतया जातियों के मानदण्ड पर आधारित था। प्रार्थी ने सरकार द्वारा उक्त आदेश को रद्द करने को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की मान्यता थी कि सरकार द्वारा उक्त आदेश को रद्द किये जाने का औचित्य इस कारण से है कि जाति को वर्गीकरण का एकमात्र मुख्य आधार नहीं बनाया जा सकता।

हरिहरण पिल्लै, बनाम राज्य[13] केरल के एक मामले में सरकार ने जाति को पिछड़ेपन का मानदण्ड माना था। जिन आंकड़ों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया था वे दो से तीन दशक तक पुराने थे। उच्च न्यायालय ने 3 के मुकाबले दो के निर्णय के आधार पर सरकार के आदेश का समर्थन किया। न्यायालय ने कहा कि जाति को एकमात्र मानदण्ड नहीं माना जा सकता परन्तु यहां यह

वर्गीकरण मोटे तौर पर उस जाति के सदस्यों के पिछड़ेपन के आधार पर किया गया हो वही वर्गीकरण का मुख्य मानदण्ड जाति नहीं बल्कि पिछड़ापन माना जाएगा। विसम्मत न्यायाधीश का विचार था कि लगभग दो या तीन दशक पूर्व राज्य द्वारा कायम की गई राय को वर्गीकरण का उचित आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि जाति के अधिकांश भाग को पिछड़े हुए भी मान लिया जाये तब भी पूरी जाति को इसलिये पिछड़ी हुई नहीं मानी जा सकती क्योंकि उस जाति के कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछड़े हुए न हों। जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जाति के मानदण्ड के अनुमोदन का प्रश्न यह है ऊपर चर्चित त्रिलोकीनाथ के दूसरे मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकट किये गये विचारों के अनुरूप है। हरिहरन पिल्लै के मामले में विसम्मत न्यायाधीश ने पूरी जाति के समग्र रूप से शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि के पिछड़े हुए होने पर भी जाति को मानदण्ड बनाने के बारे में इस कठिनाई का उल्लेख किया था कि उस जाति में ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो पिछड़े हुए न हों, परन्तु लाभ का दावा करें। परन्तु यह एक प्रकार की सीमान्त कठिनाई है और यदि हमें पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था करनी है तो इस प्रकार का सीमान्त कठिनाइयों को सहन करना ही पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश में अहीरों, कुर्मियों और अन्य जातियों को पिछड़े हुए वर्ग गिनाया गया है। छोटे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 13क के मामले मे प्रार्थियों का कहना था कि अहीरों और कुर्मियों की जातियों के बहुत से व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं हैं। उनमें से अधिकांश सम्पन्न थे, कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त थे, कुछ उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे, यहां तक की कुछ वकील और डॉक्टर आदि भी थे। न्यायालय ने कहा यदि कोई जाति समग्र रूप से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हो तो उसे पिछड़ी हुई माना जा सकता है। तथापि उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश का खण्डन कर दिया। प्रार्थियों के शपथ-पत्र तथा राज्य के प्रति शपथ-पत्र और उसमें उल्लिखित कागजात आदि (जैसे छेदी लाल आयोग की रिपोर्ट तथा काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट) की जांच करने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि "न तो आरोपित सरकारी आदेश से और न हीं राज्य की ओर से दायर किये गये प्रति शपथ-पत्र से यह पता चलता है कि राज्य सरकार ने न तो कोई और सर्वेक्षण किया और न हीं किसी अन्य प्रकार से कोई आंकड़े इकट्ठे किये थे। उसी प्रकार जहां तक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई सूची का संबंध है, प्रति शपथ-पत्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं हैं कि उस समय नागरिकों के इस वर्ग को किस आधार पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए पाया गया था। इस प्रकार की जांच करने की दृष्टि से कोई पूछताछ नहीं की गई।" संक्षेप में न्यायालय का विचार था कि राज्य के इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार प्रकट नहीं किया गया कि गिनाई गई जातियां किस प्रकार से पिछड़ी हुई थी।

इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व का प्रश्न भी विवादास्पद था कि राज्य द्वारा

पिछड़ी मानी गई जातियों को, राज्य पिछड़ा हुआ साबित करेगा या इसको चुनौती देने वाले व्यक्ति यह साबित करेंगे कि उक्त जातियां पिछड़ी हुई नहीं थी। न्यायालय का विचार था कि यह साबित करना विशेष रूप से व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि सरकार द्वारा किया गया वर्गीकरण अनुचित था। एक बार यह सिद्ध हो जाने के बाद इसका दायित्व सरकार पर आ जाता है। न्यायालय का विचार था कि प्रार्थियों ने विशिष्ट रूप से यह दलील देकर कि कम से कम दो जातियां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नहीं थी, अपना दायित्व पूरा कर दिया था। राज्य ने इस बात का खण्डन करने के लिये कोई कागजात आदि पेश नहीं किये। अतः ''मौजूदा''हालात में किसी नागरिक का अपनी निजी हैसियत से विस्तृत जांच-पड़ताल करना और पूरे राज्य में सर्वेक्षण करना या संबंधित आंकड़े जुटाना संभव नहीं है। केवल सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके हीं ऐसे आंकड़े एकत्रित किये जा सकते हैं और न्यायालय को दिये जा सकते हैं''। न्यायालय ने छोटे लाल के मामले में भी इस बात पर बल दिया कि यदि किसी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर लिये जाने के बाद उसे हमेशा के लिये पिछड़ा हुआ माना जाता रहा तो आरक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची की सदैव आवधिक समीक्षा करनी चाहिए और किसी खास समय में पिछड़े हुए निर्धारित किये गये वर्गो के लिये सीटों के आरक्षण की मात्रा की भी आवधिक समीक्षा करते रहना चाहिए।

उर्मिला मिंदा बनाम भारत संघ[14] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि यदि कोई सवर्ण जाति की महिला पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो क्या वह भी ''पिछड़े वर्ग'' की मानी जाएगी। उस पर न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह पिछड़े वर्ग की नहीं मानी जाएगी, अतः वह लाभ का दावा नहीं कर सकती।

2. अत्यधिक आरक्षण

कुछ मामलों में अत्यधिक आरक्षण का प्रश्न उठाया गया। टी. देवदासन बनाम भारत[15] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के मामले (अनुच्छेद 15(5) के अधीन चर्चित) का अनुसरण करते हुए निर्धारित किया कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का केवल अपवाद मात्र है, इसलिये अत्यधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। अत्यधिक या फिजूल आरक्षण से बहुत बड़े क्षेत्र में सामान्य प्रतियोगिता समाप्त होने से तथा कर्मचारियों में व्यापक असंतोष की भावना पैदा होने से प्रशासनिक दक्षता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय बालाजी से, सहमत था कि 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों के आरक्षण से अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। इस मामले में अनुसूचित जातियों के लिये साढ़े बारह प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिये 5 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण किया गया था। इतना आरक्षण तो उचित था किन्तु आरक्षण आगे ले जाने के

नियम के अनुसार भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती दो वर्षों में भरी न गई आरक्षित रिक्तियों को उक्त प्रतिशतता में जोड़ दिया गया। रिक्तियां आगे ले जाने के नियमानुसार एक वर्ष विशेष में आरक्षण कोटा भरी गई रिक्तियों का 64.4 प्रतिशत हो गया। चूंकि यह आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक था इसलिये न्यायालय ने इसे अत्यधिक मानकर रिक्तियां आगे ले जाने के नियम को वैध[16] ठहरा दिया।

इस प्रकार चाहे आरक्षण की प्रतिशत मात्रा अपने आप में अत्यधिक न भी हो तब भी यदि इन प्रतिशतताओं को लागू करने के लिये अपनाए गये किसी खास तरीके से किसी वर्ग विशेष में अत्यधिक आरक्षण किया जाता है तो यह बुरी बात है। निम्नलिखित मामले में यह बात भी स्पष्ट हो जाती है। उच्च न्यायालय के एक मामले में तथ्य इस प्रकार के थे कि रेलवे निरीक्षकों के दो संवर्ग (काडर) थे, रेल-डाक- सेवा निरीक्षक और डाक-घर निरीक्षक ये दोनों संवर्ग अलग-अलग थे। एक वर्ष विशेष में रेल डाक सेवा निरीक्षकों के तीन पद रिक्त थे और डाक-घर निरीक्षकों के 29 पद रिक्त थे। इस प्रकार दोनों काडरों को मिलाकर कुल 32 रिक्तियां थी। दोनों काडरों को एक यूनिट मानने पर अनुसूचित जातियों के लिये कुल चार रिक्तियां आरक्षित थी। ऐसा करने से रेल-डाक सेवा सेक्शन में रेल डाक सेवा निरीक्षक का एक पद पहले उम्मीदवार (सामान्य वर्ग के) को मिला और दो पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को।

प्रार्थी, जो सामान्य सीट से दूसरे स्थान पर आया था, रेल डाक सेवा के निरीक्षक पद पर नियुक्त नहीं किया गया। उच्च न्यायालय की मान्यता थी कि दो अलग-अलग काडरों को मिलाकर एक कर देने से तीन सीटों में से दो सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्राप्त हुई थी इसलिये उनके लिये $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत आरक्षण हो गया जो कि अत्यधिक आरक्षण था। दोनों शाखाएँ अलग-अलग थी अतः आरक्षण के[17] प्रयोजनार्थ उन्हें मिलाकर एक नहीं किया जाना चाहिए था।

राजय्या बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य[18] के मामले में 6 प्रार्थी चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी सरकारी कर्मचारी थे। वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं थे। सरकार ने इन कर्मचारियों की इस नीति के अन्तर्गत छंटनी का आदेश किया कि जब कभी कर्मचारियों की छंटनी की जानी हो तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का कुल प्रतिनिधित्व एक निर्धारित प्रतिशतता से कम होने पर इन जातियों के कनिष्ठतम कर्मचारियों की छंटनी करने से पहले गैर अनुसूचित जाति के वरिष्ठ अस्थायी कर्मचारियों, परिवीक्षाधीन कर्मचारियों और यहां तक कि परिवीक्षाधीन अनुमोदित कर्मचारियों की छंटनी की जाए। न्यायालय के समक्ष पहला प्रश्न यह था कि क्या नौकरी से छंटनी अनुच्छेद 16(4) के अधीन की गई है क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि पिछड़े वर्गो के कर्मचारियों की प्रतिशतता बनाए रखने के प्रयोजन के लिये भी पिछड़े वर्गों और गैर-पिछड़े

वर्गों के व्यक्तियों के लिये निवर्तन की अलग-अलग आयु निश्चित नहीं की जा सकती अतः छंटनी के मामले में अलग-अलग मानदण्ड लागू नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया और इस आधार पर कार्रवाई की कि अनुच्छेद 16(4) में छंटनी के संबंध में भी प्रावधान है। न्यायालय ने सरकार द्वारा प्रार्थी की छंटनी का आदेश रद्द कर दिया क्योंकि एक वर्ष विशेष में सरकार की छंटनी संबंधी नीति के कारण पिछड़े वर्गों के लिये ''अत्यधिक आरक्षण'' हो गया था।

एक अन्य मामले में[19] रेलवे बोर्ड ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण की नीति का अनुसरण किया परन्तु व्यावहारिक तौर पर 15% आरक्षण का यह नियम केवल सेवा निवृत्त या त्यागपत्र देने आदि के कारण होने वाली रिक्तियों पर ही लागू किया गया। कुल पदों पर लागू नहीं किया गया। न्यायालय ने देखा कि यदि 15 प्रतिशत आरक्षण की नीति पदों के संबंध में लागू न करके रिक्तियों पर लागू की जाती है तो इससे उस ग्रेड में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या 60 प्रतिशत तक हो जाएगी। अतः न्यायालय ने अत्यधिक आरक्षण के कारण सरकारी नीति का खण्डन कर दिया।

III. आरक्षण संबंधी आदेश का प्रकाशन

सरकार पिछड़े वर्गों के लिये अनुच्छेद 16(4) के अधीन कार्यकारी आदेश द्वारा आरक्षण कर सकती है। इसके लिये कोई कानून बनाना आवश्यक नहीं है।

मंगल सिंह बनाम पंजाब राज्य[20] के मामले में यह निर्धारित किया गया कि सरकार द्वारा अनुच्छेद (16)(4) के अधीन जारी किये गये कार्यकारी आदेश के परिणामस्वरूप संबंधित सेवा नियमों में संशोधन हो गया था। श्री के.एस. नायर बनाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग[21] के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की मान्यता थी कि यद्यपि अनुच्छेद 16(4) के अधीन एक कार्यकारी आदेश द्वारा आरक्षण किया जा सकता है परन्तु ऐसा आदेश या निर्देश प्रकाशित अवश्य किया जाना चाहिए। जब कर्मचारियों के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो और अनुच्छेद 16(4) के अधीन ऐसे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहार का समर्थन किया जा रहा हो, तब यह स्पष्ट है कि यह कार्य कार्यालय फाइल पर मात्र एक कार्यकारी अनुदेश से नहीं हो सकत।" अनुच्छेद 16 (4) के अधीन यह व्यवस्था है कि आदेश चाहे किसी किस्म का हो, अवश्य प्रकाशित किया जाए ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाया जा सके।

IV. प्रतिवर्ती आरक्षण

अनुच्छेद 16(4) के अधीन, राज्य दोनों भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव से आरक्षण कर

सकता है। महाप्रबंधक,पश्चिम रेलवे बनाम रंगाचारी[22] के मामले में उच्चतम न्यायालय की यही धारणा है। किन्तु यदि एक बार किसी व्यक्ति की सम्यक रूप से नियुक्ति हो जाये और उसका प्रतिपक्षी इस बात का विरोध न करे कि वह आरक्षित वर्ग का है तो बाद में इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना व्यर्थ होगा। किसी व्यक्ति की विधिपूर्वक नियुक्ति[23] के बाद उसकी अवनति के लिये अनुच्छेद 16(4) का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

V. आरक्षण की व्यवस्था करने के लिये सरकार की वैवेकिक शक्ति

पिछड़े वर्गों की प्रारंभिक नियुक्तियों या पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिये सरकार के पास वैवेकिक शक्ति है। आरक्षण की मांग करना किसी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है। यह बात कई मामलों में स्पष्ट की गई है। सी.ए. राजेन्द्रन बनाम भारत संघ[24] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों को पदों के आरक्षण के संबंध में मूल अधिकार प्रदान नहीं करता चाहे वह आरक्षण, भर्ती की अवस्था में हीं हो या पदोन्नति की अवस्था में। यह केवल समर्थकारी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण करने की वैवेकिक शक्ति प्रदान की गई थी क्योंकि उनके विचार में पिछड़े वर्गों को राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था।'' आरक्षण करते समय सरकार को केवल पिछड़े वर्गों के सदस्यों की मांगों पर ही ध्यान नहीं देना होता बल्कि प्रशासन की कुशलता के अनुरक्षण का भी ध्यान रखना पड़ता है जो सर्वोपरि महत्वपूर्ण है। इस मामले में सरकार ने श्रेणी 2 और 1 के पदों पर पदोन्नतियों में आरक्षण किया था जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। न्यायालय ने सरकार के आरक्षण समाप्त करने के निर्णय को बहाल रखा।

आर.एन. प्रोमानिक बनाम भारत संघ के मामले में[25] अर्जीदार को अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित कोटे में टाइपिस्ट नियुक्त किया गया था। उसकी शिकायत भी थी कि यद्यपि सरकार द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची में उसे 75 वां स्थान दिया गया था(उसे यह स्थान, उसके अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण, उसकी पूर्वत्तर पुष्टि किये जाने से प्राप्त वरिष्ठता के आधार पर दिया गया था) परन्तु सरकार ने अपने निर्णय का पुनरीक्षण करके उसका नाम क्रम संख्या 194-क (योग्यता के आधार पर) रख दिया था। इसके परिणामस्वरूप उसे पदोन्नती का अवसर नहीं मिला । सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण नहीं होगा। न्यायालय ने सरकारी फैसला बहाल रखा। यह विनिश्चय करना सरकार के अधिकार में था कि पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर की जाएगी और आरक्षण पर आधारित वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जाएगी।

इसी प्रकार यह भी निर्णय दिया गया है कि सरकार आरक्षण करते समय आवेदन पत्र देने के प्रयोजन के लिये न केवल पात्रता की न्यूनम अपेक्षाएं निर्धारित करे बल्कि लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के बाद उपयुक्तता का न्यूनयम स्तर भी निश्चित किया जाए। अनुसूचित जाति से संबंधित किसी व्यक्ति को यह शिकायत करने का अधिकार नहीं है कि उसकी नियुक्ति उस पद पर की जानी चाहिए जिसका उसने एक बार ''पात्रता परीक्षण'' पास कर लिया है यद्यपि ''उपयुक्तता परीक्षण''[26] पास नहीं किया।

पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अन्य रियायतों का विस्तार

महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम बनाम रंगाचारी[27] के मामले में न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 16(1) के अनुसार रोजगार के मामलों की परिधि के अन्तर्गत केवल प्रारंभिक नियुक्तियां ही नहीं आती बल्कि पदोन्नतियां और वेतन, आवधिक वेतन वृद्धि, सेवा की शर्तें, उपदान, पेंशन तथा अधिवर्षिता की आयु जैसे अन्य मामले भी आते हैं। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है और उसमें अनुच्छेद 16(1) के संपूर्ण विषय समाविष्ट नहीं हैं। अतः पिछड़े वर्गों की प्रारंभिक नियुक्तियों और पदोन्नतियों के अलावा अन्य मामलों के बारे में भी कोई अपवाद या भिन्न नियम नहीं हो सकते। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत प्रारंभिक नियुक्तियां ओर पदोन्नतियां दोनों ही आती हैं। राज्य, पिछड़े वर्गों की प्रारंभिक नियुक्तियों और पदोन्नतियों, दोनों के लिये आरक्षण कर सकता है।

सरकारी नियुक्ति में आरक्षण के अलावा अन्य तरीकों से रियायत देने का मुख्य मामला केरल राज्य बनाम थामस का मामला है।[28] इस मामले में, सेवा नियमों में यह व्यवस्था की गई थी कि किसी एक विशेष संवर्ग से दूसरे उच्चतर संवर्ग में पदोन्नति, वरिष्ठता के आधार पर की जाए परन्तु उसमें दो वर्षों के भीतर निर्धारित परीक्षण पास करने की भी शर्त थी। तथापि इन नियमों में अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने लिये दो अतिरिक्त वर्षों की अधिक अवधि देने की भी व्यवस्था की गई थी। यह निर्णय दिया गया कि पिछड़े वर्गो को दी गई रियायत विधिमान्य थी। यद्यपि यह रियायत अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत नहीं आती फिर भी यह अनुच्छेद 16 (1) का अतिक्रमण नहीं करती जिसमें उचित वर्गीकरण की अनुमति दी गई है। न्यायालय के विचार में मौजूदा रियायत ''उचित वर्गीकरण'' की व्यवस्था के अन्तर्गत आती है। अनुच्छेद 335 में विशेष रूप से यह आदेश दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों पर प्रशासनिक कुशलता के अनुरक्षण का ध्यान रखते हुए विचार किया जाय। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में निर्धारित परीक्षा पास करने के नियम में अस्थायी रियायत उनके पिछड़ेपन और राज्य सेवाओं में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के

कारण दी गई थी और इससे प्रशासनिक कुशलता पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता। इन वर्गो के सदस्यों को अत्यधिक तरजीह और असीमित रियायतें नहीं दी जा सकती। राज्य को इन वर्गो को प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकताओं के अनुरूप तरजीह देनी होगी। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त वर्गो के लिये नियम में युक्तियुक्त छूट दी जा सकती है लेकिन ''अनुचित'' छूट नहीं दी जा सकती।

के.एन. चन्द्रा बनाम मैसूर राज्य[29] के मामले में, राज्य लोक सेवा संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिये अर्हक अंकों के दो सैट बनाए गये थे- 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये और 55 प्रतिशत अन्य व्यक्तियों के लिये। मैसूर उच्च न्यायालय ने इतरोक्ति के रूप में यह राय दी थी कि प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिये अंकों की कम प्रतिशतता निर्धारित करना अनुच्छेद 16(4) के अधीन विहित अर्थों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है।

पिछड़े वर्गों की श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाले समुदायों के बीच कोई आरक्षण नहीं होगा

1951 में वेंक्टरमन बनाम मद्रास राज्य[30] का एक मामला था जिसके लक्ष्य ये थे कि एक सरकारी आदेश में, जिसे साम्प्रदायिक सरकारी आदेश नाम दिया गया, यह अधिसूचित किया गया था कि कुछ पदों के लिये उम्मीदवारों का चयन विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों से इस प्रकार किया जाएगा: हरिजन 19, मुस्लिम 5, ईसाई 6, पिछड़े वर्ग के हिन्दू 10, अब्राह्मण 32, और ब्राह्मण 111 यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 16(1) और (2) के अन्तर्गत उपरोक्त, आदेश दोषपूर्ण था क्योंकि इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को विनिर्दिष्ट रूप से सरकारी रोजगार के मामले में धर्म, मूल, वंश या जाति आदि के आधार पर लोगों से भेदभाव करना प्रतिषिद्ध किया गया था। विचाराधीन सरकारी आदेश में पद के लिये पात्रता का आधार यह रखा था कि व्यक्ति किसी विशेष जाति या धर्म आदि से संबंधित हो। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार केवल ''पिछड़े वर्गो'' के लिये आरक्षण करने की अनुमति दी गई थी और अन्य वर्गो के लिये नहीं।

VIII. विविध

यह निर्णय दिया गया है कि केवल इस तथ्य से कि जो आरक्षण किया गया है उससे कुछ व्यक्तियों को व्यापक लाभ मिलते हैं जिन्हें पहले भी आरक्षण के लाभ मिले हुए हैं आरक्षण दोषपूर्ण नहीं बन जाता। इसी प्रकार अंतर कितना अधिक है, इसका कोई महत्व नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि कितना अंतर पाया जाना है (जैसे, पदोन्नति के लिये तैयार की गई सूची में 73 वें स्थान वाला,आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति अन्य 72 व्यक्तियों पर तभी अग्रता प्राप्त कर सकता है यदि खाली पद केवल एक हो और वह पद आरक्षित वर्ग के सदस्य के लिये हो[31]तथापि यह समीक्षा की

जा सकती है कि राज्य को अनुच्छेद 16(4) के अधीन इस बारे में असीमित शक्ति प्राप्त नहीं हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कई अन्य मामलों में यह निर्णय दिया है (जैसे रंगाचारी और देवदासन) कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करने से प्रशासनिक दक्षता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

---

1. महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम बी. रंगचारी, ए.आई.आर 1962 उच्चतम न्यायालय 36, बैसू राजूबू बनाम आन्ध्र प्रदेश लोकसेवा आयोग ए.आई. आर. 1967, आन्ध्र प्रदेश 353, टी. देवदासन बनाम भारत संघ, अखिल भारतीय रिपोर्टर 1961, उच्चतम न्यायालय 179
2. त्रिलोकीनाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए.आई. आर. 1980 उच्चतम न्यायालय 1283 जानकी प्रसाद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए.आई.आर. 1973 उच्चतम न्यायालय 1988
3. रंगचारी का न्यायालय अमर त्रिलोकीनाथ का मामला वही-
4. रंगचारी का मामला वही टी. देवदासन बनाम भारत संघ, ए. आई. आर,. 1984 उच्चतम न्यायालय 179.
5. ए. आई.आर. 1967 उच्चतम न्यायालय 1283
6. त्रिलोकीनाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए.आई. आर. 1969 उच्चतम न्यायालय
7. ए.आई. आर. 1971 उच्चतम न्यायालय 2207
8. ए.आई. आर. 1973 उच्चतम न्यायालय 830
9. लंशाक बनाम मैसूर राज्य, ए.आई.आर. 1956 मैसूर 20.
10. श्री एम.कुशेकर बनाम मैसूर राज्य (1972) 2 मैसूर एल.जे. 202.
11. श्री एस. जयश्री बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1975 उच्चतम न्यायालय 1981 ए.आई. आर. 1961 आन्ध्र प्रदे श 353
12. ए.आई. आर. 1968 केरल 42.
13. ए.आई. आर. 1979 इलाहाबाद 135.
14. ए. आई. आर. 1975 दिल्ली 115.
15. ए. आई. आर. 1964 उच्चतम न्यायालय 179.
16. केरल राज्य बनाम थामस, ए.आई.आर. 1976 उच्चतम न्यायालय 490 के मामले में न्यायमूर्ति फजल अली का विचार था कि रिक्तियां आगे ले जाने के नियम के अनुसार यदि 50 प्रतिशत से अधिक पद पिछड़े वर्गो के नागरिकों के प्रति असमानता का व्यवहार हो सकता है और सरकार ने उनके लिये जो पूरा कोटा आरक्षित किया है उसके अनुसार सरकारी नौकरियों में उनको खपाया नहीं जा सकेगा।
17. एच. नटराजन बनाम महानिदेशक, डाक-तार। ए. आई. आर. 1970 मद्रास 459 डिवीजन न्यायापीठ द्वारा समर्थित (1971) 2 मद्रास एस. जे. 79
18. आई. एल. आर. (1973) आन्ध्र प्रदेश 516.
19. जे. सी. मलिक बनाम भारत संघ 1978 (1) एस. एस. आर. 844।
20. ए आई. आर. 1968 पंजाब 306 तथा त्रिलोकीनाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए. आई. आर. 1969 उच्चतम न्यायालय।

जा सकती है कि राज्य को अनुच्छेद 16(4) के अधीन इस बारे में असीमित शक्ति प्राप्त नहीं हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कई अन्य मामलों में यह निर्णय दिया है (जैसे रंगाचारी और देवदासन) कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करने से प्रशासनिक दक्षता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

---

1. महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम बी. रंगचारी, ए.आई.आर 1962 उच्चतम न्यायालय 36, बैसू राजूबू बनाम आन्ध्र प्रदेश लोकसेवा आयोग ए.आई. आर. 1967, आन्ध्र प्रदेश 353, टी. देवदासन बनाम भारत संघ, अखिल भारतीय रिपोर्टर 1961, उच्चतम न्यायालय 179
2. त्रिलोकीनाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए.आई. आर. 1980 उच्चतम न्यायालय 1283 जानकी प्रसाद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए.आई.आर. 1973 उच्चतम न्यायालय 1988
3. रंगचारी का न्यायालय अमर त्रिलोकीनाथ का मामला वही-
4. रंगचारी का मामला वही टी. देवदासन बनाम भारत संघ, ए. आई. आर,. 1984 उच्चतम न्यायालय 179.
5. ए. आई.आर. 1967 उच्चतम न्यायालय 1283
6. त्रिलोकीनाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए.आई. आर. 1969 उच्चतम न्यायालय
7. ए.आई. आर. 1971 उच्चतम न्यायालय 2207
8. ए.आई. आर. 1973 उच्चतम न्यायालय 830
9. लंशक बनाम मैसूर राज्य, ए.आई.आर. 1956 मैसूर 20.
10. श्री एम.कुशेकर बनाम मैसूर राज्य (1972) 2 मैसूर एल.जे. 202.
11. श्री एस. जयश्री बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1975 उच्चतम न्यायालय 1981 ए.आई. आर. 1961 आन्ध्र प्रदे श 353
12. ए.आई. आर. 1968 केरल 42.
13. ए.आई. आर. 1979 इलाहाबाद 135.
14. ए. आई. आर. 1975 दिल्ली 115.
15. ए. आई. आर. 1964 उच्चतम न्यायालय 179.
16. केरल राज्य बनाम थामस, ए.आई.आर. 1976 उच्चतम न्यायालय 490 के मामले में न्यायमूर्ति फजल अली का विचार था कि रिक्तियां आगे ले जाने के नियम के अनुसार यदि 50 प्रतिशत से अधिक पद पिछड़े वर्गो के नागरिकों के प्रति असमानता का व्यवहार हो सकता है और सरकार ने उनके लिये जो पूरा कोटा आरक्षित किया है उसके अनुसार सरकारी नौकरियों में उनको खपाया नहीं जा सकेगा।
17. एच. नटराजन बनाम महानिदेशक, डाक-तार। ए. आई. आर. 1970 मद्रास 459 डिवीजन न्यायापीठ द्वारा समर्थित (1971) 2 मद्रास एस. जे. 79
18. आई. एल. आर. (1973) आन्ध्र प्रदेश 516.
19. जे. सी. मलिक बनाम भारत संघ 1978 (1) एस. एस. आर. 844।
20. ए आई. आर. 1968 पंजाब 306 तथा त्रिलोकीनाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए. आई. आर. 1969 उच्चतम न्यायालय।

21. (1974) गुजरात एल. आर. 7

22 ए. आई.आर. 1962 एस. सी. 36

23. सुदामा प्रकाश बनाम अधीक्षक पश्चिम रेलवे ए. आई. आर. 1965 राजस्थान 109.

24. आई. आर. 1968 एस. सी. 507.

25. ए. आई. आर. 1969 कलकत्ता 576.

26. प्रातनलिनी मलिक बनाम उडीसा राज्य आई. एल. आर. (1972) कटक 1372.

27. ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 36.

28. ए. आई. आर. 1976, एस. सी. 490.

29. ए. आई. आर. 1963 मैसूर 293.

30. ए. आई. आर. 1951, एस. सी. 229.

31. पंजाब राज्य बनाम हीरालाल ए. आई. आर. 1971, एस. सी. 1777.